

सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2017

परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना :-

लिखित परीक्षा कुल 400 अंक, साक्षात्कार कुल 50 अंक, इस प्रकार पूर्णांक कुल 450 अंकों का होगा। परीक्षा ऑनलाईन पद्धति से आयोजित की जावेगी।

लिखित परीक्षा	विवरण	अंक
प्रश्न पत्र	विज्ञापित पद से संबन्धित विषय	
	लिखित परीक्षा के कुल अंक	400
साक्षात्कार		50
	कुल अंक	450

(ब) प्रश्न-पत्र योजना

- (1) प्रश्न-पत्र में समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A,B,C,D) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर (A,B,C,D) में समूहीकृत किया जायेगा। जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा।
- (2) प्रश्न-पत्र, पद से सम्बन्धित विषय का होगा जिसमें 2-2 अंकों के कुल 200 प्रश्न होंगे। इस प्रकार इस प्रश्नपत्र का पूर्णांक 400 होगा।
- (3) प्रश्न-पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। किन्तु भाषागत विषयों के प्रश्न-पत्र की रचना केवल संबन्धित भाषा में ही होगी।

(स) लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक :

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

(द) साक्षात्कार :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(इ) अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक :

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा अभिनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित गणना-पत्रक के आधार पर अधिकतम 20 वरीयता अंक दिये जायेंगे। इस संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जावेगा।

(फ) चयन विधि :

अंतिम चयनफल, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग में अतिथि विद्वानों द्वारा प्राप्त वरीयता अंक को जोड़कर कुल प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जायेगा।